राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone &Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/SP-2 दिनांकः 08.05.2021

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद/पालिका,

समस्त, राजस्थान

विषयः—कोरोना काल में आमजन में जन–जागरूकता हेतु ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो–रिक्शा इत्यादि के माध्यम से सघन प्रचार–प्रसार के कम में।

प्रसंगः निदेशालय का पत्रांक एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/कोरोना/2021/22112–22315 दिनांक 07.04.2021, निदेशालय के पत्रांक एफ.55( )विविध/21/कोरोना/SPL-3 दिनांक 26.04.2021 एवं 26242–435 दिनांक 30.04.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्रों द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने एवं जन–साधारणकोजागरूक करने हेतु सार्वजनिक परिवहन के साधनों यथा ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो–रिक्शा के माध्यम से से कोविड प्रोटोकॉल के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पालिका में क्रमशः 50, 25, व 10 की संख्या में उक्त वाहन किराये पर लेने हेतु निर्देशित किया गया था एवं इनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करने की भी स्वीकृति प्रांसगिक पत्र दिनांक 30.04.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

इसी कम में निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक नगर निगम में उपरोक्त कार्य हेतु कम से कम 50, प्रत्येक नगर परिषद् में कम से कम 25 एवं प्रत्येक नगर पालिका में कम से कम 10 (टाइप–IVनगर पालिका में 05) ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो–रिक्शा अनिवार्य रूप से अविलम्ब लगाये जायें, जिनमे माईक व साउण्ड सिस्टम की व्यवस्था के साथ–साथ उद्घोषक हो, जो कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने एवं कोविड–19 की गंभीर स्थिति बाबत् प्रचार–प्रसार करेगे। वाहन पर पर्याप्त आईइसी सामग्री (यथा बैनर, पोस्टर इत्यादि) लगाये जावें तथा इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नवीनतम अपील के पम्पलेट्स, मास्क इत्यादि का वितरण भी किया जावें। ऑटो हुपर के माध्यम से कोरोना जिंगल टोन का प्रसारण उपरोक्त वाहनों के अतिरिक्त नियमित रूप से किया जावें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि कोरोना के बढ़ते हुऐ प्रभाव को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का जन–जागरण में प्रचार–प्रसार के लिए उपरोक्तानुसार ई–रिक्शा /साईकिल रिक्शा/ऑटो–रिक्शा को लगावें तथा इनका सघन रूप से पूरे दिन उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी दैनिक सूचना नियमित रूप से गूगलशीट के निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करें।

(दीपक नंदी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक एफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / कोरोना / 2021 / SP-2 दिनांक: 08.05.2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राज.।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
5. उप निदेशक (क्षे.) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज.।
6. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
7. उप निदेशक (जन सम्पर्क), निदेशालय।
8. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक